

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रामीण)।

कोश संख्या :- 595/2024

परशुराम बनाम गौरीलाल

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	08.11.2024	<p>यह दाता अधिवक्ता श्री भगवान राहाय यादव द्वारा वाक्य घोषणा एवं शथारी निवेद्याज्ञा अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है। रिपोर्ट सारिस्ता होकर पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित है। निर्देशित किया जाता है कि आदेश 5 नियम 9 सिविल प्रविज्या संहिता में निर्धारित प्रक्रिया से प्रतिवादियों को सम्मन जरिये रजि. डाक करायी जावें, इस हेतु सम्मन जारी होकर वादी को दरती दिया जावें। वादी को यह भी निर्देश दिया जाता है कि प्रतिवादियों को उनकी संख्या के अनुसार सादे कागज पर वादपत्र की उत्तनी प्रतियां इस आदेश की तिथि से सात दिवस के भीतर सम्मन की तामील के लिए अपेक्षित शुल्क के साथ पेश हो।</p> <p>उपर्युक्तानुसार सम्मन जारी होकर इन्तजार तामील दिनांक 18.11.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी चाकसू(जयपुर)</p> <p>पञ्चावली पेश हुयी/R.O. आदेश/कार्य कन्डोलेमस <del>संख्या 20/11/24</del> दिनांक 20/11/24 को पेश हो।</p>	

18/11/24